सेवा में,

प्रबन्धक/मुख्याध्यापक
डी.सी. मॉडल उ.मा.वि.
सैक्टर - 9

यादी क्रमांक जी-1 ए। 1 । 99 501 दिनांक 31-8-99

विषय:- अस्थाई मान्यता मिडल स्तर तक वर्ष 1999-2000

संदर्भ आप द्वारा अस्थाई मान्यता हेतु भेजी गई फाईल के सन्दर्भ में ।

आप को वर्ष 1999-2000 के लिये दिनांक 1-4-99 से 31-3-2000 तक कक्षा ______ से ______ तक अस्थाई मान्यता (प्रोविजनल) निम्नलिखित अंकित शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है । यह मान्यता का ______ है ।

(1) इस कार्यालय द्वारा दी गई अस्थाई मान्यता के आधार पर आप किसी ... अनुदान । वित्तीय सहायता की मांग नहीं करेंगे । और नियमानुसार ... र्थियों को भी सुविधायें अपने खर्चे पर प्रदान करेंगे ।

(2) सभी विद्यार्थियों के लिये फर्नीचर इत्यादि का प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाये ।

(3) पढ़ाये जाने वाले विज्ञान विषयों के लिये उपयुक्त प्रयोगशाला तथा ... उपकरण का पूरा प्रबन्ध करें ।

(4) अध्यापकों की नियुक्तियां हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार ... की जायें । तथा ट्रेन्ड अध्यापकों को ही लगाया जाए ।

(5) स्टाफ का वेतन बैंक के द्वारा ही किया जाय ।

(6) हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड । हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित पुस्तकें ही विद्यालय में पढ़ाई जायें ।

(7) यह सुनिश्चित किया जाये कि विद्यालय में लाईब्रेरी हो तथा सभी विषय की प्रयाप्त संख्या में पुस्तकें उपलब्ध हों ।

(8) यदि आप की मैनेजमेन्ट कमेटी शिक्षा विभाग से अनुमोदित नहीं हो तो ... कार्यालय । विभाग द्वारा अनुमोदित करवायें ।

(9) हरियाणा एजुकेशन कोड की धारा 214, 215 एवं 222 की दृढ़ता से पालना की जाये ।

(10) संस्था में कार्यरत स्टाफ के छः माह के बराबर राशि जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के नाम प्लैज कराई जाये ।

(11) संस्था में कार्यरत स्टाफ के लिये पी0 एफ0 की स्कीम लागू की जाये ।

Jyoti Gupta
Principal
D.C. Model Sr. Sec. School
Sector-9, Faridabad

(12) खेल के मैदान का उचित प्रबन्ध किया जाये ।

(13) नियम के अनुसार भवन का कवर्ड एरिया बढ़ाया जाये तथा भवन का नक्शा रजिस्टर्ड आरकीटैक्ट से बनवाकर भेजा जाये । पाठशाला भवन संस्था/सोसाईटी के नाम रजिस्टर्ड । लीज पर कराया जाये ।

(14) छात्र निधियों की शेयर मनी नियमानुसार समय पर जमा कराई जाये ।

(15) शिक्षा विभाग । सरकार के किसी भी अधिकारी को विद्यालय के रिकार्ड की जांच करने का पूरा अधिकार होगा । और यदि किसी समय पाया गया कि प्रबन्धक । मुख्या ऐजुकेशन कोड की धारा 214 का उल्लंघन कर रहे हैं तो मान्यता रद्द कर दी जायेगी । उपरोक्त शर्तों की छः मास की अवधि में पूरा कर लिया जाये ।

उपमण्डल शिक्षा अधिकारी
फरीदाबाद
31/8/99

क्रमांक संख्या

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

(1) जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद ।

(2) निदेशक सैकन्डरी शिक्षा, हरियाणा चण्डीगढ़ ।

(3) सचिव हरियाणा विद्यालय, शिक्षा बोर्ड भिवानी ।

उपमण्डल शिक्षा अधिकारी
फरीदाबाद ।

Jyotigupta
Principal
D.C. Model Sr. Sec. School
Sector-9, Faridabad